संख्या:78/2016/628जेएल/22-3-16-100(16)/2016

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 01 मार्च, 2016***

विषय: जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध 11 विचाराधीन/सिद्धदोष बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र जनपद की कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3554/सामा-1(3)/आगरा मं0/2016, दिनांक 08-02-2016 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध निम्नलिखित 11 (ग्यारह) विचाराधीन/सिद्धदोष बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदियों को स्थानान्तरित किये जाने से पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार समस्त मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़ द्वारा अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी** :-

क्र.स.	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	निरूद्धी की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	अमरपाल पुत्र श्री तुलाराम	जि0का0 अलीगढ़	जि0का0 शाहजहॉपुर
2	सत्यवीर उर्फ सत्ता पुत्र श्री रनवीर सिंह	जि0का0 अलीगढ़	जि0का0 खीरी
3	मोना ठाकुर उर्फ सच्च प्रताप पुत्र श्री रहीश पाल सिंह	जि0का0 अलीगढ़	जि0का0 बहराइच
4	विश्राम पुत्र श्री सुल्तान	जि0का0 अलीगढ़	जि0का0 बरेली
5	अजय कोयल पुत्र श्री हरी सिंह	जि0का0 अलीगढ़	जि0का0 पीलीभीत
6	दिनेश चौधरी उर्फ छोटू पुत्र स्व0 कोमल सिंह	जि0का0 अलीगढ़	जि0का0 बदायूँ
7	गौरव सिंह पुत्र स्व0 ओमवीर सिंह	जि0का0 अलीगढ़	जि0का0 सीतापुर
8	नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह	जि0का0 अलीगढ़	जि0का0 बलरामपुर
9	भीम उर्फ शशांक मोहन पुत्र श्री जगमोहन	जि0का0 अलीगढ़	जि0का0 गोण्डा
10	राजेश उर्फ राजू पुत्र श्री रूकमपाल	जि0का0 अलीगढ़	जि0का0 रायबरेली
11	सि0/वि0 दीपक मीणा पुत्र श्री किशन स्वरूप	जि0का0 अलीगढ़	जि0का0 बिजनौर

------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरि नारयण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या:78/2016/628जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़/शाहजहॉपुर/खीरी/बहराइच/बरेली/पीलीभीत/बदायूँ/सीतापुर/बलरामपुर/गोण्डा/रायबरेली/बिजनौर।
2. पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़/शाहजहॉपुर/खीरी/बहराइच/बरेली/पीलीभीत/बदायूँ/सीतापुर/बलरामपुर/गोण्डा/रायबरेली/बिजनौर।
3. अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़/शाहजहॉपुर/खीरी/बहराइच/बरेली/पीलीभीत/बदायूँ/सीतापुर/बलरामपुर/गोण्डा/रायबरेली/बिजनौर।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

http://s asanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।